



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09112023-249985
CG-DL-E-09112023-249985

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4669]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 9, 2023/कार्तिक 18, 1945

No. 4669]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 9, 2023/KARTIKA 18, 1945

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 2023

का.आ. 4869(अ).—केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) के पहली अनुसूची के मद 6 के अधीन आच्छादित ऐसे उद्योग कि सेवाएँ, जो खाद्य सामग्री में लगे हुए हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा होंगी ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ढ) के उप खंड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए खाद्य सामग्री में लगे हुये उद्योग को अधिसूचना के प्रकाशन की प्रकाशन की तारीख से अगले छह महीने के लिए लोक उपयोगी सेवा के रूप में घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/5/91-आई.आर.(पी.एल.)]

दीपिका कच्छल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th November, 2023

S.O. 4869(E).—Whereas the Central Government is satisfied that the public interest so requires that the services of the industry engaged in Food stuffs, which is covered under item 6 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), to be a public utility service for the purposes of the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the services engaged in the 'Food Stuff' to be a public utility service for the purposes of the said Act, for a period of six months with effect from the date of publication of this notification.

[F. No. S-11017/5/91-IR (PL)]

DEEPIKA KACHHAL, Jt. Secy.